Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

जनजातियों के प्रवास के कारण और प्रभावों का अध्ययन (मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में)

कपिल डामर*

* पीएच.डी. शोधार्थी (समाजकार्य) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला इदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आधूनिक भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या व बेरोजगारी के कारण जनजातियां अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने मूल स्थानों से शहरों की ओर रोजगार की तलाश में प्रवास कर रहे है। ग्रामिण जनजातिय समुदायों में यह प्रक्रिया पहले से ही चली आ रही है कि उनके परिवारों में कमाने वाले एक या दो व्यक्ति होते है तथा उन पर आश्रित सदस्यों की संख्या अधिक है जिनकी मूल स्थानों पर रहकर बुनियादी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराना कठिन होता है। ऐसी परिस्थिति में उनके परिवारों से किसी-न-किसी वयस्क व अवयस्क सदस्यों को रोजगार पाने के लिए शहरों में प्रवास करना अनिवार्य हो जाता है, जिससे वे अपने परिवारों में होने वाले आवश्यक कार्य को व्यवस्थित रूप से संचालित कर सके।

आजादी के छ: दशक बाद भी आज भारत में बहुल जनजाति समाज कहे जाने वाले वर्गो की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। हमारे समाज में जाति व्यवस्था का अभिशाप आज भी निम्न वर्गो के विकास के रास्ते में सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक विषमताओं की खाईयां घटने की बजाय और बढ़ती जा रही है।

भारत एक विकासशील देश है। विकास का अर्थ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधाएं तथा जीविका के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना। किन्तु यह बहुत दु:ख की बात है कि आज हमारे देश को आजादी के 78 वर्ष होने जा रहे है लेकिन यह बात केवल शोध का विषय बनकर रह गई है या विचारों के रूप में पढ़ने-सुनने को मिलती है, जबकि वास्तविकता तो इससे कोषों दूर है। इन विचारों को परिणित करने के लिए हमें भारत की नींव अर्थात् ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा क्योंकि कई वर्षो से इन क्षेत्रों के लोगो की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। जनजातियों को इन मूलभूत आवश्यकताओं की अत्यधिक जरूरत है। क्योंकि हमारे देश का 68.3 प्रतिशत भाग ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में निवास करते है एवं 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे अपनी संस्कृति में लिप्त रहकर जीवनयापन कर रही है।

जनजातिय प्रवास के दो पहलू हो सकते है।

1. वे पहलू जो जनजतियों समूह को बाहर की ओर धकेलते है, जैसे सामाजिक, आर्थिक शोषण, भुखमरी, बाढ़ व सूखे जैसी प्राकृतिक विपदाओं आदि।
2. वे पहलू जो जनजातियों समूह को अपनी ओर खींचते है जैसे रोजगार के बेहतर अवसर व अधिक मजदूरी जिनके कारण बहुत सी जनजाति प्रवासी बन जाती है।

शब्द कुंजी – प्रवास, अशिक्षा, रोजगार, गरीबी, स्वास्थ्य।

प्रस्तावना – जनजातियों के जीवन में प्रवास महत्वपूर्ण घटना है, जनजातिय वर्ग का सारा जीवन प्रवास में बीत जाता है, जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति कमजोर होती जाती है। उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन बहुत अस्थिर हो जाता है। कठोर परिश्रम और पौष्टिक भोजन के अभाव में उनका स्वास्थ्य स्तर गिरता जाता है, जिससे वे अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते है और उनकी कार्यक्षमता में कमी आती जाती है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते है और प्राय: अशिक्षित रह जाते है। इस कमी को वे अज्ञानतावश समाप्त भी नहीं कर पाते है। भारत में लगभग 212 प्रकार की जनजातियां है, जिनकी जनसंख्या 40 लाख से भी अधिक है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में अनुमानत: 40 लाख से भी अधिक है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में अनुमानत: 8.36 करोड़ आदिवासी निवास करते है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.08 प्रतिशत है, इनमें से 93.8 प्रतिशत जनंसख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार म.प्र. भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य है। सन् 1991 से 2011 तक की जनगणनाओं में आदिवासियों की जनसख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। इससे स्पष्ट है कि देश की बढ़ती आबादी में इनकी वृद्धि दर की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है।

जनजातिय समुदाय आमतौर पर दूरांचल, वनाचंल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती आ रही है और इनका मुख्य कार्य कृषि करना, शिकार करना तथा वनों से लकड़ी काटकर बेचना आदि होता है। लेकिन परिवर्तनों के कारण इनके कार्य में बदलाव आया, जिससे इनमें परिवर्तन के रूप में प्रवास उभरकर सामने आया।

समस्या – प्रवास में सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को होता है, गर्भावस्था

में भी वे अपने घर से दूर जाकर मजदूरी करती है, जिससे उनकी देखभाल नही होती, प्रसव कहां होगा, यह भी निश्चित नही होता है। जिससे उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उचित देखभाल और पोष्टिक भोजन के अभाव में वे एनीमिया, कुपोषण जैसी भंयकर बीमारियों का शिकार हो जाती है।

प्रवास के कारण – प्रवास का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक होता है, प्रवास को प्रोत्साहित करने वाले आर्थिक कारण इस प्रकार है– काम का अभाव, औद्योगिकीकरण, जोतों का अधिकार छोटा होना एवं कृषि स्त्रोतों की कमी आदि। जनजतियों के क्षेत्रों में किसी प्राकृतिक प्रकोप बाढ़, सूखा, भूकम्प, किसी बीमारी का प्रकोप आदि कारणों से उन्हें प्रवास की आवश्यकता होती है।

प्रवास के प्रकार :

1. **स्थाई प्रवास –** स्थाई प्रवास वह कहलाता है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह गांव छोड़कर शहरों में निवास करता है।
2. **दैनिक प्रवास –** यह प्रवास गांवों से नगरों की ओर प्रतिदिन होता है।
3. **मौसमी प्रवास –** यह प्रवास अस्थाई रूप से होता है, यानि कृषि कार्य के अतिरिक्त समय में ये लोग शहरों में आकर मनदूरी करते है एवं फसल काटने एवं बोने के समय वापस चले जाते है। इसलिए मौसमी प्रवास कहते है।

प्रवास के लाभ– प्रवास से आर्थिक लाभ, भूमि पर जनसंख्या के भार में कमी, स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर, नगरीकरण के लाभ आदि होते है।

अध्ययन का महत्व – प्रवास की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जो एक समस्या है। प्रवास जनजातियों में विशेष इनकी सामाजिक स्थिति में पिछले कुछ सालों में भी सुधार नहीं हुआ, वहीं पुरानी स्थिति टुटी–फुटी झोपडियाँ, फटे वस्त्र एवं भोजन में गुणवत्ता का अभाव जो इनकी सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। सामाजिक स्थिति के साथ आर्थिक स्थिति में भी कोई सुधार नहीं हुआ है। दैनिक रूप में मजदूरी कर एवं अपना जीवनयापन करने पर मजबूर है। अत: वर्तमान में इनकी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ हे।

अत: इस शोध अध्ययन से जनजातियों के प्रवास संबंधित कारणों व प्रभावों का अध्ययन करके इनकी समस्याओं की और सरकार का ध्यान आकर्षित किया जायेगा।

प्रवास की समस्याएँ – प्रवास से कार्यक्षमता में ह्रास, श्रम संघों के विकास में बाधा, प्रवास पश्चात् आवास की समस्या, नैतिक पतन एवं शिक्षा व स्वास्थ्य पर प्रभाव आदि।

अध्ययन के उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन 'जनजातियों के प्रवास के कारण और प्रभावों का अध्ययन करना' मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में निम्न उदेश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है:

1. जनजातियों के प्रवास के कारणो और प्रभावों का अध्ययन करना।
2. जनजातियों के प्रवास के प्रकार एवं स्वरूप का अध्ययन करना।
3. जनजातियों में सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य स्तर को ज्ञात करना।
4. प्रवास को रोकने में शासकीय योजनाओं की भूमिकाओं का अध्ययन करना।
5. जनजातियों में प्रवास अधिनियम संबंधी जागरूकता तथा मिलने वाली सुविधाओं का पता लगाना।

अध्ययन की आवश्यकता – प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में जनजातिय मजदूरी की तलाश में अपने ग्राम को छोड़कर बाहर जाते है। शहर में आकर कही भी अपनी–अपनी बस्ती बनाकर रहने लगते है। जहां इन्हें गंदगी, कूड़ा–करकट एवं हानिकारक परिस्थितियों में रहना पड़ता है, जिससें उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उपकरण एवं तकनीकी – प्रस्तुत शोधपत्र तैयार करने के लिए द्वितीयक सामाग्री संकलन के लिए संबंधित शोध जर्नल, पूर्व प्रकाशित शोध प्रबंध, शोधपत्र–पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट, जनगणना रिपोर्ट तथा संबंधित कार्यालयों से द्वितीयक संकलन व तथ्यो को एकत्रित किया गया।

निष्कर्ष – झाबुआ जिले की जनजातियों के प्रवासित परिवारों का सर्वेक्षण करने पर उनकी वास्तविक स्थिति ज्ञात हुई। जैसा कि विदित है शोध का विषय जनजातियों के प्रवास के कारण और प्रभावों का अध्ययन, इस हेतु प्रवासित जनजातियों का साक्षात्कार लिया गया। अवलोकन करते हुए प्रवासित जनजातियों की स्थिति को समझने का भी पूरा प्रयास किया गया और उससे जो तथ्य हमारे सामने आये उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन प्रवासित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति काफी दयनीय है। ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु कार्य नहीं किये जा रहे है, किन्तु सच यह है कि इन प्रवासित जनजातियों को शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनजातियों की महिलाओं का वर्ग आज भी परम्परागत सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ है, उसकी अशिक्षा एवं अज्ञानता ही उनकी निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी है।

1. शोध क्षेत्रों में ग्रामिण जनजातिय परिवारों से पुरूष वर्ग व महिला वर्ग अधिक संख्या में रोजगार के लिए अपने मूल गांव से शहरों व पड़ोसी राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र, व राजस्थान) में प्रवास करते है। जिन पर परिवार के पालन–पोषण करने का दायित्व अधिक होता है।
2. शोध क्षेत्रों में भील जनजाति के श्रमिक अधिक संख्या में प्रवास करते है। यह बाहुल्य जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ पर जनजातिय लोग अधिक संख्या में निवास करते है। इसमें सर्वाधिक प्रवास करने वाले जनजातिय श्रमिकों की आयु 30–40 वर्ष के मध्य हैं।
3. शोध क्षेत्रों में विवाहित श्रमिक अधिक संख्या में मजदूरी कार्य के लिए दूसरे स्थानों पर प्रवास करते है, जो कि शादी–विवाह के अवसरों पर अपने स्थानीय साहुकारो से अधिक मात्रा में ऋण लेकर करते है, उस ऋण को चुकाने व परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मजदूरी कार्य करते है। यह अपनी जागरूकता की कमी व उचित जानकारी के अभाव में शासन द्वारा संचालित 'सामूहिक विवाह समारोह' कार्यक्रमों में सम्मिलित नही हो पाते है।
4. शोध क्षेत्रों में जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है, परंतु कृषि जोतों के आकर छोटे होने, असमतलीकरण, बिखरी हुई एवं पठारी अवस्था में होने के कारण केवल वर्षा ऋतु में कृषि भूमि को सिंचित कर पाते है, जिसके परिणास्वरूप कृषि उपज में कमी होती है।
5. शोध क्षेत्रों के जनजातिय परिवारों में औसत सदस्यों की संख्या अधिक है। इस कारण उनके परिवारों में खाद्यान्न पदार्थ वर्ष भर नही चल पाता है। ऐसी स्थिति में अपने परिवार के सदस्यों का पालन–पोषण करने तथा अन्य पारिवारिक कार्य सम्पन्न करने में असमर्थ हो जाते है। उनके पास आय उपार्जन के संसाधन की कमी है।

प्रवास के दौरान आवास समस्या, गंदी बस्तियों की समस्या, पीने की

पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या होने के बावजूद भी ये लोग प्रवास करते है।

सुझाव :

1. भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को भ्रमण एवं जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता है। इस आधार पर व्यक्ति भारत के किसी भी स्थान पर अपने निश्चित उद्देश्यों जैसे जीविकापार्जन आदि की पूर्ती के लिए प्रवास करते है। अतएव सरकार द्वारा इन प्रवास व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन के संसाधन की उपलब्धता को बढ़ाना चाहिए।
2. भारत में प्रवास की प्रवृत्ति मुख्यत: ग्रामीण से शहरी होती है, जो कि कम खेती योग्य भूमि एवं रोजगार अवसरों के अभाव के कारण शहरी क्षेत्रों में होती है, तब ग्रामीण क्षेत्रों में खेती योग्य भूमि का उचित प्रबंधन एवं रोजगार अवसरों की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए।
3. ग्रामीण कृषकों को कृषि की नई तकनीकी का प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान की जाए, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो और उन्हें प्रवृजन के लिए मजबूर न होना पड़े।
4. विकास की योजनाओं को सरलतम ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि अशिक्षित लोग भी इन्हें समझ सके और योजनाओं का लाभ ले सके।
5. कृषकों को कृषि कार्य के लिए सस्ते से सस्ता ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे उनके उत्पादन में सुधार हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. बघेल डी.एस. (1993), नगरीय समाजशास्त्र, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ आकदमी, भोपाल।
2. भगत राम बाबु, डिपार्टमेंट एण्ड माईग्रेशन एंण्ड अर्बन स्टडिज, इंटरनेशनल इस्टिच्यूट ऑफ। पापुलेशन साइंस, मुंबई, दैनिक भास्कर, 2011।
3. भूगोल और आप, (मार्च 2010), मानव भूगोल।
4. डेहरिया बेनी प्रसाद (2008-09) 'गौंड जनजाति कृषि श्रमिक परिवारों में पलायन का बदलता स्वरूप एवं कारणों का अध्ययन'।
5. गुप्ता एम.एल. एवं शर्मा डी.डी., समाजशास्त्र, (UGC:NET/SLET)।
6. www.interstatemigration.com
7. जेम्स, के.एस. पापुलेशन रिसर्च सेंटर इंस्टिच्यूट फॉर सोशल एण्ड इकॉनामिक चेंज, बैगलुरू, दैनिक भास्कर 2011।
8. कुरूक्षेत्र, (दिसम्बर 2010), ग्रामीण नगरीय प्रवृजन।
9. पाण्डेय प्रेम प्रकाश (1990) 'अप्रवासी श्रमिक', नार्दन बुक सेंटर, नई दिल्ली।
10. पाण्डेय मलिक (1991),'नगरीय आवृजन', मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
11. पाटकर सुमन (1998-99)'पृवासी आदिवासी महिलाओं की समस्या एवं समाधान'।
12. राय, सरोज (1993) 'महिला श्रमिक', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
13. भारत में प्रवृजन, जनगणना 2001।
14. सक्सेना आर.सी. (1998)'श्रमिक समस्याएं एवं समाज कल्याण', प्रकाशन के.नाथ एण्ड कम्पनी, मेरट।
15. सफदरी एस.एच., सी.ई.ओ. जिला पंचायत झाबुआ, पत्रिका 2011।
16. शर्मा पी.के. (1924)'आन्तरिक प्रवास और सामाजिक परिवर्तन' श्री पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।
17. व्यास बी.एस. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के सदस्य और अर्थशास्त्री, दैनिक भास्कर 2011।
18. वासनिक नीरज कुमार (2007-08)'प्रवासी मजदूरों का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन'।
19. यंग पी.वी. (1998), आन्तरिक प्रवास और सामाजिक परिवर्तन।

****